न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 17/21 (वाद)
GCMS No. : 2021/34

1. श्रीमती केसरबाई पुत्री घीसा पत्नी भेरूलाल गुर्जर निवासी छोटी खेडी हाल माण्डुथल तहसील मावली।

............वादीया

बनाम्

1. श्रीमती नारूबाई पुत्री घीसा पत्नी किशनलाल गुर्जर निवासी छोटीखेडी हाल बाजून्दा तहसील नाथद्वारा।
2. श्रीमती धापुबाई पत्नी घीसा गुर्जर निवासी छोटीखेडी तहसील मावली।
3. श्री कल्याणसिंह पिता सज्जनसिंह झाला राजपूत निवासी छोटीखेडी हाल रूम नम्बर 14 सिद्वार्थ मिस्त्रा चाल नम्बर 8 सुहासीनी पावसकर रोड धरतन पाडा दहीसर पूर्व मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. श्री महेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह झाला राजपूत निवासी छोटीखेडी हाल रूम नम्बर 14 सिद्वार्थ मिस्त्रा चाल नम्बर 8 सुहासीनी पावसकर रोड धरतन पाडा दहीसर पूर्व मुम्बई (महाराष्ट्र)
5. पटवारी, पटवार हल्का महुडा तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री हीरालाल सालवी, अधिवक्ता वादीया।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 06.02.2025

1. वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा छोटीखेडी पटवार हल्का महुडा तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 269, 270, 271, 481 किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 1/30 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/30 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] न से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

पर वर्तमान में 1/30 हिस्से से दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 246 रकबा 5 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 7/120 हिस्से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 7/120 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 7/120 हिस्से से दर्ज हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 436 रकबा 3 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 3/60 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 3/60 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 3/60 हिस्से से दर्ज हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 241, 363, 416 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 1/2 हिस्से से दर्ज हैं। परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 247, 296, 297 किता 3 कुल रकबा 11 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 1/2 हिस्से से दर्ज हैं। परिशिष्ट र में वर्णित आराजी नम्बर 242, 243, 417 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 1/2 हिस्से से दर्ज है। परिशिष्ट ल में वर्णित आराजी नम्बर 435, 436 किता 2 कुल रकबा 11 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 1/2 हिस्से से दर्ज हैं। परिशिष्ट व में वर्णित आराजी नम्बर 259, 260, 261 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 1/2 हिस्से से दर्ज हैं। परिशिष्ट श में वर्णित आराजी नम्बर 150, 151, 153, 157, 158, 159, 244, 262, 450, 451 किता 10 कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात घीसा पिता चेना के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज थी व जरिये वसीयत के नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बेचान से प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम पर वर्तमान में 1/2 हिस्से से दर्ज हैं।

2. यह कि मुझ वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है

घीसा पिता चेना गुर्जर (फौत)

केसरबाई, पुत्री, वादीया | नारूबाई,पुत्री,प्रतिवादी सं. 1 | धापुबाई, पत्नी प्रतिवादी सं. 2

3. यह कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पैतृक सम्पति हैं। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता व पति (घीसा पिता चेना जी गुर्जर) के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी उसमें मुझ वादीया का जन्म से ही हक व अधिकार निहित होकर मुझ वादीया का उक्त भूमि पर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करती आ रही हूं। उक्त वर्णित आराजीयात में घीसा पिता चेना के हिस्से में से मुझ वादीया का अपने 1/3 हक हिस्से व जायज अधिकारों से वंचित करने की नियत से व हमारे हिस्सा भूमि से बेदखल करने की गरज से षडयन्त्रपूर्वक उक्त पैतृक सम्पति को घीसा पिता चेना जी से प्रतिवादी संख्या 1 नारूबाई ने अपने नाम पर वसीयत सम्पादित करवा दी जो गलत होकर मुझ वादीया के मुकाबले शुन्य एवं बेअसर है जबकि मुझ वादीया का स्व. घीसा जी की (सम्पति में) कृषि भूमियों में पैतृक सम्पति के आधार पर नाम दर्ज होना चाहिए था।

4. यह कि घीसा पिता चेना जी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजाजय फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 यानि एक ही पुत्री नारूबाई के नाम पर पैतृक सम्पति की वसीयत सम्पादित कर दिया जो गलत है जबकि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में घीसा पिता चेना जी का परिशिष्ट अ में 1/30 हिस्सा, परिशिष्ट ब में 7/120 हिस्सा, परिशिष्ट स में 3/60 हिस्सा एवं परिशिष्ट द, य, र, ल, व, श में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः 1/2 हिस्सा था। लेकिन सम्पूर्ण भूमि उनके अकेले नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकित होने से सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नारूबाई के नाम पर वसीयत कर दी जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था उक्त वर्णित भूमि में घीसा पिता चेना का परिशिष्ट अ में 1/30 हिस्सा, परिशिष्ट ब में 7/120 हिस्सा, परिशिष्ट स में 3/60 हिस्सा एवं परिशिष्ट द, य, र, ल, व, श में 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण हिस्सा नहीं होकर मात्र 1/4 हिस्सा ही था और अपने हिस्से से अधिकार भूमि की वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नही था इसलिए घीसा पिता चेना द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जो पैतृक सम्पति की वसीयत सम्पादित की गई है वह मुझ वादीयां के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होकर बेअसर है। घीसा पिता चेना जी के वारिस सजरा खानदान अनुसार 3 वारिस थे जिसमें प्रथम वारिस (मै वादीया पुत्री), द्वितीय वारिस (प्रतिवादी संख्या 1 नारूबाई पुत्री), तृतीय वारिस (प्रतिवादी संख्या 2 धापुबाई पत्नी) थे इस प्रकार सभी वारिसो का विरासत 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था इसलिए मैं वादीया का घीसा पिता चेना गुर्जर की आराजीयात परिशिष्ट अ में 1/30 हिस्सा, परिशिष्ट ब में 7/120 हिस्सा, परिशिष्ट स में 3/60 हिस्सा एवं परिशिष्ट द, य, र, ल, व, श में 1/2 हिस्से में से मुझ वादीयां प्रथम वारिस पुत्री होने से 1/3 हिस्सेनुसार अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज कराने की अधिकारी हूं। इसलिए उक्त वाद प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ वादीया का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होकर मुझ वादीयां का जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो गया था जिस पर मैं वादीया काबिज हो काश्त करती आ रही हूं लेकिन उक्त पैतृक भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर हो जाने से उसका नाजायज लाभ उठाते हुए सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम पर करवा ली दर्ज करा प्रतिवादी संख्या 3, 4 को विक्रय कर देने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुझ वादीयां के कब्जे काश्त की भूमि पर आकर मेरे कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे है और खेती नहीं करने दे रहे है और जबरन ताकत के बल पर मुझ वादीया को बेदखल करने की धमकीयां दे रहे हैं। इसलिए मैं वादीया प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कराने का अधिकारी हुं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुझ वादीया के 1/3 हिस्सा भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार [illegible] दस्तन्दाजी नहीं करे बेदखल नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा नहीं करे व प्रतिवादी संख्या 3, 4 उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय रहन बैह बक्षीस नहीं करे और मुझ वादीया को शांतिपूर्वक उक्त जमीन पर काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा स्वयं उत्पन्न नहीं करे ना ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से ही करावे। अगर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो मुझ वादीया को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका जाना असंभव होगा। स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादीयां के पक्ष में हैं।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 25.12.2020 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण वादीया के हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में अवरोध पैदा करने पर उतारू हुए तब से उत्पन्न हो निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन है कि वादीया के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात परिशिष्ट अ में 1/30 हिस्सा, परिशिष्ट ब में 7/120 हिस्सा, परिशिष्ट स में 3/60 हिस्सा एवं परिशिष्ट द, य, र, ल, व, श में 1/2 हिस्सा जो घीसा पिता चेना के नाम पर दर्ज था उसमें से मुझ वादीया का जन्म से ही हक अधिकार होने से मुझ वादीया के नाम पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादीया के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में अंकन फरमाया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कराने की अधिकारी हुं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुझ वादीया के 1/3 हिस्सा भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे व प्रतिवादी संख्या 3, 4 उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय रहन बैह बक्षीस नहीं करे और मुझ वादीया को शांतिपूर्वक उक्त जमीन पर काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा स्वयं उत्पन्न नहीं करे ना ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से ही करावें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

अपने पिता से रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी के पिता द्वारा की गई वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई व राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय किया हैं। वादीया ने अपने वाद में रजिस्टर्ड वसीयत को निष्प्रभावी व शून्य मानकर वादग्रस्त आराजीयात में घोषणा चाही है जबकि कानूनन रजिस्टर्ड वसीयत को निष्प्रभावी व शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है इसलिए कानूनन वादीया प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत को निष्प्रभावी नहीं करा देती तब तक कथित वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वादीया के वाद की प्लीडिंग के आधार पर ही प्रथम दृष्टया वाद वसीयत को निष्प्रभावी मानते हुए घोषणा चाही है इसलिए वसीयत को निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से वादीया का वाद बार्ड बाई लॉ हैं। इसलिए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् खारिज होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए वादी का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से वाद इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें।

9. वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुझ वादी के पिता ने एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अवश्य कराई परन्तु बार्ड बाई लॉ है कि पैतृक की वसीयत नहीं की जा सकती है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत मुझ वादीया के मुकाबले शून्य व बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय किया वह भी गलत है क्योंकि जो वसीयत भी वादीया के मुकाबले शुन्य है तो आगे से विक्रय वैसे ही शून्य माना जायेगा। वादीया पैतृक कृषि भूमि में जन्म से ही अपने हिस्से को लेकर उक्त वाद प्रस्तुत किया हैं। इसलिए वादीया के उक्त वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 का यह कहना है कि रजिस्टर्ड वसीयत होने से आप न्यायालय में वाद पेश नहीं हो सकता है जो सरासर गलत है क्योंकि उक्त वसीयत पैतृक सम्पति को लेकर की गई है जिसे वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद एवं दस्तावेजो से प्रमाणित होता है उक्त सम्पति पैतृक है जिसमें वादीया का जन्म सिद्ध अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना सरासर गलत होकर काबिल खारिज होने योग्य हैं। वादीयो के वाद से यह स्पष्ट है कि वादीया ने उक्त वाद पैतृक सम्पति में अपने जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर अपने हिस्से की घोषणा चाही है इसलिए वादीया के पिता द्वारा की गई पैतृक सम्पति की वसीयत शून्य एवं बेअसर है वादीया का वाद राजस्व व पैतृक सम्पति में अपने हक अधिकार की घोषणा बाबत् आप न्यायालय में ही प्रस्तुत है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जा.दी. सरासर गलत होकर खारिज होने योग्य है प्रतिवादी अपना जवाब दावा नहीं प्रस्तुत कर वाद को लम्बा करने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी ने जानबुझकर वाद को लम्बा करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि वादीया का वाद पैतृक सम्पति में अपने जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर हैं। प्रतिवादी अपने सारे उजर अपने जवाबदावें में प्रस्तुत कर सकते है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र में गलत प्रस्तुत किया है जो सव्यय खाजिर फरमाया जावें।

10. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2018 (2) Page 848, RRT 2020 (1) Page 271 पेश किये।

11. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा छोटी खेडी पटवार हल्का महूडा तह. मावली के वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट अ, ब, स, द, य, र, ल, व में वर्णित आराजीयात संलग्न रिकॉर्ड एवं वादीया स्वयं के कथनानुसार खातेदार घीसा पिता चेना गुर्जर के नाम हिस्से अनुसार सहखातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड थी। खातेदार घीसा पिता चेना गुर्जर द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दी गई। जिससे खातेदार घीसा पिता चेना गुर्जर के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर घीसा पिता चेना गुर्जर के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हुई। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को कर दिया। वादीया द्वारा उक्त भूमि को पैतृक भूमि बताकर उक्त वादग्रस्त भूमि में अपना हक अधिकार जन्म से ही बताकर वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में मूल पुरूष घीसा पिता चेना गुर्जर को बताया है। जो कि वादीया स्वयं के पिता है। वादीया के पिता को उक्त भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई इस संबंध में वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में कोई कथन नही किया गया और ना ही वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज वादपत्र में प्रस्तुत किया जिससे यह प्रतित होता हो की वादग्रस्त भूमि वादीया की अविभाजित पैतृक भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि आज भी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपति है या नही ?

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन अनुसार वादीया को अपने वाद मे यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि "No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed." उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीया को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त न्यायिक दृष्टान्त अनुसार वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। वादीया द्वारा जब अपने वादपत्र में इस प्रकार के कोई कथन वर्णित नही किये गये है तो इससे पृथक साक्ष्य भी पेश नही किये जा सकते, तदनुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादी के वादपत्र को ही देखा जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना हो तो भी वादी का वाद ऐसा कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है, जिससे उक्त सम्पत्तियो में उसका हक प्रकट होता हो।

वादग्रस्त भूमि घीसा पिता चेना गुर्जर नाम दर्ज थी। घीसा पिता चेना गुर्जर को अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। घीसा पिता चेना गुर्जर द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करने से वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हुई। इस प्रकार वसीयत निष्पादन के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत भी वादीया का वादग्रस्त भूमि में कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्सा नही बनता है। क्योंकि वसीयत को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नही है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2018(2) RRT Page No-848 में स्पष्ट किया गया है कि :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88, 53 व 183–अपीलाण्ट वादी ने घोषणा व रेस्पोण्डेन्ट्स नं. 1, 3 तथा 4 को बेदखल का कब्जा हेतु वाद पेश किया–जी द्वारा निष्पादित कथित वसीयत के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट्स ने काऊण्टर क्लेम पेश किया–वाद डिक्री किया तथा काऊण्टर क्लेम खारिज किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय उल्टा किया तथा काऊण्टर क्लेम डिक्री किया–वसीयत निष्पादन के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के लागू नहीं होगी तथा वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को है–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय में अवैधता नहीं है। (पैरा 8,9,10,11,12) उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि वसीयत निष्पादन के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू नही होगी तथा वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर केवल सिविल न्यायालय को है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र के बरूऐ ही वादी का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करने तथा रजिस्टर्ड वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकर इस न्यायालय को नही होने से प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाकर वाद वादीया प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती केसरबाई पुत्री घीसा पत्नी भेरूलाल गुर्जर निवासी छोटी खेडी हाल माण्डुथल तहसील मावली।

............वादीया

बनाम्

1. श्रीमती नारूबाई पुत्री घीसा पत्नी किशनलाल गुर्जर निवासी छोटीखेडी हाल बाजून्दा तहसील नाथद्वारा।
2. श्रीमती धापुबाई पत्नी घीसा गुर्जर निवासी छोटीखेडी तहसील मावली।
3. श्री कल्याणसिंह पिता सज्जनसिंह झाला राजपूत निवासी छोटीखेडी हाल रूम नम्बर 14 सिद्वार्थ मिस्त्रा चाल नम्बर 8 सुहासीनी पावसकर रोड धरतन पाडा दहीसर पूर्व मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. श्री महेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह झाला राजपूत निवासी छोटीखेडी हाल रूम नम्बर 14 सिद्वार्थ मिस्त्रा चाल नम्बर 8 सुहासीनी पावसकर रोड धरतन पाडा दहीसर पूर्व मुम्बई (महाराष्ट्र)
5. पटवारी, पटवार हल्का महुडा तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 17/21 (वाद) GCMS No. : 2021/34

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्वायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested